

सेक्टर-19 एवं 32

केपिटल काम्पलेक्स इन्द्रावती भवन के पास एवं  
ग्राम-खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन  
आमंत्रण सूचना

आवेदन आमंत्रण सूचना क्रमांक ...../6(2)/...../संपदा/एनआरडीए/201...

नया रायपुर, दिनांक .... / ..... / 2015



नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

केपिटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.) – 492002

दूरभाष 07712511400, फ़ैक्स 07712511400 ई-मेल : [ceo@nayaraipur.com](mailto:ceo@nayaraipur.com), वेब साइट – [www.nayaraipur.com](http://www.nayaraipur.com)

## गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

आवेदन प्रपत्र निम्नांकित को जारी –

मेसर्स/श्री \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

शुल्क :- रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)

मनी रसीद बुक नं. \_\_\_\_\_, रसीद नं. \_\_\_\_\_, दिनांक \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी  
नया रायपुर

## डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह आवेदन में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह आवेदन भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि हितग्राही द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. आवेदन दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः आवेदन भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत आवेदन भरें।
4. आवेदन दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. आवेदन आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से किसी आवेदक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी आवेदक या सभी आवेदनकर्ताओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट [www.nayaraipur.gov.in](http://www.nayaraipur.gov.in) में सूचना प्रकाशित करते हुए, स्व-विवेक से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, आवेदन सूचना की शर्तों में संशोधन यह आवेदन दस्तावेजों को पूर्णतः किया जा सकता है। उक्ताषय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।



# नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

राजधानी परिसर, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)-492002

दूरभाषः 0771-2511400 फ़ैक्स नं. 0771-2 511500 ई-मेल [ceo@nayaraipur.com](mailto:ceo@nayaraipur.com)

[www.nayaraipur.com](http://www.nayaraipur.com)

क्रमांक 6(2)/ /संपदा/एनआरडीए/2013, नया रायपुर, दिनांक / /2015

सेक्टर-19 एवं 32 इन्द्रावती भवन के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

- 1.0 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजधानी नगर की प्लानिंग, विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- 2.0 नया रायपुर का विकास "नया रायपुर विकास योजना - 2031" के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। विकास के अनुक्रम में अथॉरिटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए भवनों/सामाजिक/व्यवसायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सेक्टर-19 एवं 32, इन्द्रावती भवन के पास एवं ग्राम खपरी की गुमटियों परियोजना प्रभावितों को आबंटित किया जाना है।
- 3.0 नया रायपुर के सेक्टर-19 एवं 32 इन्द्रावती भवन के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रण सूचना में दी गई तिथि के दोपहर 3.00 बजे तक उपरोक्त पते पर आमंत्रित है।
  - 3.1 गुमटी का आबंटन लाइसेंस पर किया जायेगा।
  - 3.2 आवेदन पत्र जिसमें आबंटन की शर्तें आदि दी गई हैं, निर्धारित शुल्क रु. 500 (पांच सौ रुपये मात्र) जमा कर राजधानी परिसर, सेक्टर-19, नया रायपुर एनआरडीए कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र अहस्तांतरणीय है।
  - 3.3 आवेदन आमंत्रण सूचना में संशोधन किये जाने की स्थिति में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हुए एनआरडीए के वेबसाइट [www.nayaraipur.com](http://www.nayaraipur.com) पर प्रकाशित की जायेगी।

### 3.4 वर्गवार आरक्षण :-

| वर्गवार आरक्षण गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना |            |                  |            |  |                |                             |
|---|------------|------------------|------------|--|----------------|-----------------------------|
| ग्राम एवं सेक्टर का नाम                                   | कुल संख्या | वर्गवार आरक्षण   |            |  |                |                             |
|   |            | अ.ज.जा/<br>अ.जा. | अ.पि.वर्ग. | विधवा/ परित्यक्ता महिलाओं के लिए, दृष्टिही विकलांगों को, अन्य विकलांगों के लिए | सामान्य श्रेणी | आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क |
| 01  | 02         | 03               | 04         | 05   | 06             | 07                          |
| इन्द्रावती भवन के पास सेक्टर-19                           | 5          | 1                | —          | —  | 4              | 385 /—                      |
| ग्राम खपरी सेक्टर-32                                      | 6          | 1                | 1          | —  | 4              | 385 /—                      |

### 4.0 आबंटन के नियम एवं शर्तें :-

- उपरोक्त गुमटियों का आबंटन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को तीन वर्ष के लाइसेंस पर किया जायेगा। सेक्टर-19 इन्द्रावती भवन के पास के गुमटियों का प्रयोजन खाद्य समग्री एवं फल, जूस हेतु किया जायेगा।
- एक परिवार से केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जावेगा।
- चयनित हितग्राही को 3 माह के मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। लाइसेंस की शर्तों का पालन करने की स्थिति में, लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिषत वृद्धि के साथ पुनः तीन वर्ष के लिए लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- गुमटी का मासिक लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। विलंब होने पर 12 प्रतिषत वार्षिक ब्याज की दर से विलंब शुल्क के साथ बकाया राशि जमा करना होगा। तीन माह से अधिक का किराया बकाया होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जावेगा और जमा सुरक्षा निधि एनआरडीए के पक्ष में बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित कर ली जावेगी।
- यदि किसी आबंटिती व्यक्ति को गुमटी की आवश्यकता न हो तो उसे गुमटी एनआरडीए को वापस लौटानी होगी।
- गुमटी केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जावेगा। निर्धारित प्रयोजन से अन्य प्रयोजन में उपयोग करना पाये जाने पर गुमटी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

7. आबंटिती को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जस का भुगतान समय पर करना होगा।
8. जिस व्यक्ति को गुमटी का आबंटन किया गया है, उसे स्वयं गुमटी में व्यवसाय चलाना होगा। आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उपकिराये पर या अन्यथा किसी प्रकार से गुमटी का हस्तांतरण करना पाया गया तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।
9. किन्ही कारणों से लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर आबंटिती को गुमटी खाली कर वापस सौपना होगा।
10. आबंटिती को गुमटी के भीतर एवं आस-पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा और कूड़ादान रखना होगा तथा कूड़ा कचड़ा एकत्रित कर एनआरडीए द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर उसका निष्पादन करना होगा अन्यथा गुमटी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
11. आबंटिती केवल आबंटन किये गये स्थान में ही व्यवसाय करेगा। आबंटित स्थान से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर गुमटी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
12. आबंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। आबंटिती केवल अपनी गुमटी से संबंधित विज्ञापन निर्धारित आकार में लगायेगा।
13. आबंटिती द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।
14. आबंटिती द्वारा गुमटी में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण या क्रय या विक्रय नहीं किया जावेगा।
15. आबंटिती द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता एवं अन्य नियमों का पालन किया जावेगा।
16. लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर एनआरडीए को गुमटी रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।
17. अन्य शर्तें ब्ययन नियम 2008 के अंतर्गत निर्धारित होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुसूची-एक

नया रायपुर सेक्टर-19 एवं 32 इन्द्रावती भवन के पास ग्राम राखी एवं ग्राम खपरी में स्थित विभिन्न आकार के गुमटियों को नया रापुर में परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटन हेतु

गुमटियों का विवरण

| सेक्टर-19 इन्द्रावती भवन के पास ग्राम राखी में गुमटी |                 |                           |                             |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| गुमटी क्रमांक  | आकार (मीटर में) | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क |
| 1  | 2.4X2.40        | 5.76                      | 385=00                      |
| 2  | 2.4X2.40        | 5.76                      | 385=00                      |
| 3  | 2.4X2.40        | 5.76                      | 385=00                      |
| 4  | 2.4X2.40        | 5.76                      | 385=00                      |
| 5  | 2.50X2.90       | 7.25                      | 385=00                      |
| सेक्टर-32 ग्राम खपरी में गुमटी                       |                 |                           |                             |
| 1  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |
| 2  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |
| 4  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |
| 5  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |
| 7  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |
| 8  | 2.9X2.5         | 7.25                      | 385=00                      |

एम.आर.क्रमांक...../दिनांक.....

## नया रायपुर में परियोजना प्रभावित परिवारों को गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी  
राजधानी परिसर, सेक्टर-19,  
नया रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट  
आकार का  
स्वप्रमाणित  
फोटो चिपकाएं

विषय:- नया रायपुर सेक्टर-19 एवं 32 इन्द्रावती भवन के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन।

संदर्भ:- आवेदन आमंत्रण सूचना क्रमांक /6(2)/ /संपदा/एनआरडीए/2015  
नया रायपुर, दिनांक / /2015।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त गुमटियों में से गुमटी क्रमांक ..... का आबंटन..... प्रयोजन हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. आवेदित सेक्टर एवं ग्राम का नाम :- .....
2. आवेदक का नाम :- .....
3. पिता का नाम :- .....
4. माता का नाम :- .....
5. पत्नि/पति का नाम :- .....
6. जाति :- .....
7. आरक्षण वर्ग - (कृपया प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)  
(अ) अनुसूचित जाति/अनु.जन.जा.  
(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग  
(स) विधवा परित्यक्ता महिला  
(द) विकलांग :- .....
8. जन्मतिथि :- .....



9. शैक्षणिक योग्यता :- .....
10. वर्तमान व्यवसाय :- .....
11. पूर्ण पता :- .....
- (1) ग्राम :- .....
- (2) पोस्ट ऑफिस :- .....
- (3) तहसील :- .....
- (4) पिन कोड :- .....
- (5) फोन/मोबाईल नं. :- .....
12. एनआरडीए को हस्तांतरित भूमि का विवरण :- (कृपया प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
- (1) गांव का नाम :- .....
- (2) हल्का नम्बर :- .....
- (3) भूमि स्वामी का नाम :- .....
- (4) क्षेत्रफल :- ..... एकड़ में
- (5) खसरा नंबर :- .....
- (6) एनआरडीए को हस्तांतरित वर्ष :- .....
- (7) प्राप्त मुआवजे की राशि :- .....
- (8) आवेदक का भूमि स्वामी से रिस्ता .....

// घोषणा //

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मुझे अथवा मेरे परिवार को नया रायपुर क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में कोई दुकान आबंटित नहीं है। मुझे दुकान आबंटन की सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन निरस्त किया जावे एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

दिनांक.....  
स्थान.....

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

